हैं। बाकी जो बचे हुए 9,000 करोड़ हैं, उसके लिए एन.टी.पी.सी. प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने, हमने जो 10th Plan का प्रोग्राम किया है, उसके अंदर भी लगभग 3,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यदि एन.टी.पी.सी. चाहे तो बजटरी सपोर्ट उसको मिल सकता है और एन.टी.पी.सी. की स्थिति अच्छी है। इसलिए निजीकरण का, प्राइवेटाइज़ेशन का या डिसइनवेस्टमेंट का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के सामने नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि एन.टी.पी.सी. अपनी पावर जेनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है और फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने पर वह विचार कर रहा है ताकि शेयर कैपिटल बेस को बढ़ाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एन.टी.पी.सी. की बहुत बड़ी धनराशि राज्यों के ऊपर अथवा कुछ संस्थाओं के ऊपर बकाया है? यदि बकाया है तो वह धनराशि कुल कितनी है और क्या यह भी सच है कि यदि पूरी बकाया धनराशि की वसूली कर ली जाए तो फंड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है और एन.टी.पी.सी. की पावर जेनरेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है?

श्री सभापति: यह कवेश्चन इसके परव्यू में नहीं आता है, I won't allow. Next question.

संघ-लोक-सेवा-आयोग में परीक्षाओं और साक्षात्कारों का माध्यम

*563. **श्री बालकवि बैरागी : क्या कार्मिक**, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कारों का माध्यम क्या है;

(ख) राजभाषा हिन्दी के पूर्ण प्रयोग में हुई प्रगति और तत्संबंधी बाधाएँ क्या-क्या हैं; और

(ग) संघ-लोक-सेवा-आयोग के कार्यकरण में उसका पूर्ण रूप से प्रयोग कब से आरम्भ किया जाएगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम की भाषा दर्शाने वाला विवरण, विवरण-I के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)। जहाँ तक साक्षात्कारों के माध्यम की भाषा का संबंध है, सिविल सेवाओं की परीक्षा से संबंधित साक्षात्कार के सिवाय अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कार, सामान्यत: अंग्रेज़ी-भाषा के माध्यम से किए जाते हैं। सिविल सेवाओं की परीक्षा में बैठने वाले उन उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार अंग्रेज़ी-भाषा के माध्यम से ही दिया जाना

अपेक्षित होता है जिन्होंने सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षा में निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर, अंग्रेज़ी-भाषा के माध्यम से लिखने का विकल्प चुना हो। जिन उम्मीदवारों ने उपर्युक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा के माध्यम से लिखना चुना हो, उन्हें अपना साक्षात्कार अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से अथवा उनके द्वारा, लिखित प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखने के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा में दिए जाने का विकल्प सुलभ रहता है।

(ख) और (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं का चलन आरम्भ किए जाने से संबंधित मुद्दे पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त डॉ. सतीश चन्द्र समिति द्वारा विचार किया गया। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर आम राय क़ायम किए जाने के प्रयास जारी हैं।

विवरण-I

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम की भाषा

I.	उन परीक्षाओं के नाम जिनमें परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी, हिन्दी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाएँ हैं।	सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षा	प्रश्न-पत्र, अंग्रेज़ी और हिन्दी में छपवाए जाते हैं।
II.	उन परीक्षाओं के नाम जिनमें परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी और हिन्दी है।	(i) अनुभाग अधिकारी/ आशुलिपिक (ग्रेड ख/ ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (कुछ प्रश्न-पत्रों के प्रश्नों के उत्तर लिखने के संबंध में हिन्दी माध्यम का विकल्प चुनने दिया जाता है) (ii) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के संबंध में ग्रेड-I (अवर सचिव) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा।	प्रश्न-पत्र, अंग्रेज़ी और हिन्दी में छपवाए जाते हैं।

III.	उन परीक्षाओं के नाम जिनके प्रश्न-पत्र पारम्परिक पद्धति के होते हैं और जिनमें परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है।	(i) इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ii) भारतीय वन सेवा परीक्षा (iii) भारतीय अर्थ सेवा/ भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा (iv) भूवैज्ञानिक परीक्षा	प्रश्न पत्र अंग्रेजी में ही छपवाए जाते हैं।
IV.	उन परीक्षाओं के नाम जिनके प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ स्वरूप के ही होते हैं और इसलिए उनके माध्यम का प्रश्न ही नहीं उठता।	(i) सिविल सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षा (ii) स्पेशल क्लास रेलवे एप्रेंटिस परीक्षा (iii) रक्षा सेवाओं की संयुक्त परीक्षा (iv) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (v) चिकित्सा सेवाओं की संयुक्त परीक्षा	सिविल सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों और उनकी परीक्षण-पुस्तिकाओं को हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में छपवाया जाता है। शेष परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों और उनकी परीक्षण-पुस्तिकाओं को अंग्रेज़ी में ही छपवाया जाता है।

Medium of examinations and interviews in UPSC

† *563. SHRI BALKAVI BAIRAGI: Will the Minister of PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS be pleased to state:

(a) the medium of examinations and interviews conducted by UPSC;

(b) the progress made and hindrances in the complete use of official language i.e. Hindi; and

(c) by when the same will be introduced completely in the working of UPSC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI HARIN PATHAK): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) A Statement (Statement-I) indicating the language medium of various competitive examinations conducted by Union Public Service Commission is enclosed (*See* below). As regards language medium for interviews, except for Civil Services Examination, interviews are held generally in English. For the Civil Services Examination, candidates who have opted for English as the language for answering papers on Essay, General Studies and optional subjects in the Civil Services (Main) Examination, will have to take the Interview in English only. Those candidates who opted for an Indian Language under the VIII Schedule as their language medium for answering the above papers have the option of being interviewed either in English or in the language which they have opted for in the written papers.

(b) and (c) The question of introduction of Hindi and other languages included in the VIIIth Schedule of the Constitution as medium of various examinations conducted by Union Public Service Commission was considered by Dr. Satish Chandra Committee appointed by the UPSC. Efforts are on to arrive at a consensus on this sensitive issue, based on the recommendations of the Committee.

Statement-I

Language medium of various examinations conducted by Union Public Service Commission

I.	Examinations in which the medium of examination is English, Hindi, or other VIII Schedule languages.	Civil Services Main Examination	Question Papers are printed in English and Hindi
II.	Examinations in which medium of examination is English and Hindi	(i) Section Officers/ Stenographers (Grade B/Grade I) Limited Departmental Competitive Examination. (Option of Hindi medium allowed for certain papers only)	Question Papers are printed in English and HIndi.

		(ii) Grade I (Under Secretary) Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	
III.	Examination in which papers are of conventional type and medium of examination is English.	(i) Engineering Services Examination. (ii) Indian Forest Service Examination. (iii) Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination. (iv) Geologists' Examination.	Question Papers are printed in English only.
IV.	Examinations in which the papers are of objective type only and the question of medium, therefore, does not arise.	(i) Civil Services (Preliminary) Examination. (ii) Special Class Railway Apprentice Examination. (iii) Combined Defence Services Examination. (iv) National Defence Academy and Naval Academy Examination. (v) Combined Medical Services Examination.	Question papers (Test booklets) for the Civil Services (Preliminary) Examination are printed both in Hindi and English. For the remaining examinations, the question papers (test booklets) are printed in English only.

श्री बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, मैं दो प्रश्न न करके एक ही सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसका विस्तार से उत्तर दे दें। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि इस संदर्भ में और इस परिप्रेक्ष्य में गत वर्ष सितम्बर माह में प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता

में और गृह मंत्री महोदय आडवाणी जी, जो कि राजभाषा विभाग के सर्वोपरि, शीर्षस्थ मंत्री हैं-इनकी अध्यक्षता में देश के शीर्षस्थ व्यक्तियों की उपस्थिति में इस बारे में एक निर्णय लिया गया था कि 2004 से ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उस बारे में यदि आप विस्तार से उत्तर दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उसमें क्या बाधाएं हैं, वे क्यों दूर नहीं हो पा रही हैं और यह परिस्थिति कब तक चलेगी? यह प्रश्न इसलिए पैदा होता है कि इस सारे प्रश्न की जड़ यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सारे अभियान में शामिल हैं। यदि उनकी उपस्थिति में भी यह फैसला नहीं हो पाता है तो फिर देश के सामने कोई आशा की किरण नहीं बचती है। तो कृपा करके विस्तार से सितम्बर माह में जो फैसला हुआ, उसका क्या भविष्य है, इस पर प्रकाश डाल दें। मेरा एकमात्र यही प्रश्न है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सभापति: वाह-वाह, आप तो कवि हैं।

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, 6 सितम्बर, 2002 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय हिंदी समिति की एक बैठक हुई थी, इनकी बात बिलकुल सही है। उस बैठक में तीन निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय यह लिया गया था कि जो हमारी सिविल सर्विसेज़ हैं, उसकी परीक्षा में अंग्रेजी अथवा हिंदी का जो अनिवार्य प्रश्न-पत्र है, उसका विकल्प उपलब्ध कराया जाए। यद्यपि इस अनिवार्य प्रश्न-पत्र के जो मार्क्स हैं, वे योग्यता की सूची में गिने नहीं जाएंगे परंतु इसमें निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होगा—जो आपने बताया, एक निर्णय यह लिया गया। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भरती परीक्षा में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध कराने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्यमंत्री यानि मैं, अभी मैं हूं, द्वारा सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ अलग तीन माह में एक मीटिंग बुलाकर कॉन्सेन्सस बनाया जाए क्योंकि अंग्रजी कंपलसरी है और हिंदी ऑप्शनल एक्ज़ामिनेशन में आती है। अंग्रेजी के बदले में हिंदी या हमारी आठवीं सूची में जो 18 भाषाएं हैं, उनमें से कोई और भाषा अंग्रेज़ी के बदले में रखी जाए, यह संवेदनशील प्रश्न है। और संवेदनशील प्रश्न होने के कारण सभी राज्यों से उनकी राय लेना जरूरी है। इस संदर्भ में कहा गया कि मैं यानि कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री उनकी एक बैठक बुलाएं। इस पर कार्रवाई चल रही है, सरकार सक्रिय विचार कर रही है, जो सिफारिशें हैं उसमें गंभीरता से और सुयोग्य विचार कर रही है और 13 मई को मैंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है ताकि इस संदर्भ में एक समान विचारधारा बने और कहीं किसी के मन में, क्योंकि भाषा का प्रश्न है, कोई दूसरी बात खड़ी न हो जाए।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने परीक्षाओं के माध्यम से भाषा दर्शाने वाला विवरण दिया है उसमें जो भाग-3 है इसमें उन्होंने बताया है उन परीक्षाओं के नाम जिनके प्रश्न-पत्र पारंपरिक पद्धति से होते हैं। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पारंपरिक पद्धति क्या है और इसकी परिभाषा किस ढंग से निर्धारित की है और दूसरे, जिन सेवाओं का इसमें नाम लिया गया है उन सेवाओं में अगर दूसरा विकल्प हिन्दी और जो हमारी आठवीं

अनुसूची में दर्ज भाषाएं हैं, उनको रख दिया जाता है तो क्या परेशानी माननीय मंत्री जी को या इस सरकार को पड़ती है, कारण बताएं?

श्री हरिन पाठक: इस संबंध में उनका जो पहला प्रश्न है, उसमें जो सिविल सर्विसेज हैं उनकी सारी परीक्षा के प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में छपते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक: यह मैंने नहीं पूछा है।

श्री हरिन पाठक: मैं उस पर आ रहा हूं, आपको सूचना दे रहा हूं। जब आपने बताया कि उनके सिवाए तीसरा जिसका आपने उल्लेख किया है उसमें टेक्नीकल एक्जामिनेशन आते हैं जो हैं, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ''अदर देन आई.ए.एस.'' एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सिवाए, भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय अर्थ सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, भू वैज्ञानिक परीक्षा, इनके प्रश्न-पत्र अंग्रेजी में छपवाए जाते हैं और हमारी अनुसूचित भाषा की जो भी भाषाएं हैं उस भाषा के तहत उनका माध्यम अंग्रेजी रहता है और उसमें वह टेक्नीकल होने के कारण पूरा का पूरा अंग्रेजी में है। जहां तक दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है, उसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है कि ऑप्शनल और नॉन-ऑप्शनल अंग्रेजी में से हिन्दी और अन्य भाषाओं में पेपर दिया जाए उसके बारे में यह संवेदनशील प्रश्न होने के कारण हमने कंसेंसस प्राप्त करने की कोशिश की है।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, there is a problem between English and Hindi only. I would like to know from the hon. Minister what are the other languages included in the Eighth Schedule. There is a prolonged request and demand made by Tamil Nadu, and also by the hon. Chief Minister, to include 'Tamil', one of the ancient languages, as one of the official languages in the Eighth Schedule. What is the opinion of the Government? Can the Government now consider this request and demand made by Tamil Nadu?

DEPUTY PRIME MINISTER, IN-CHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI L. K. ADVANI): Mr. Chairman, Sir, when this issue was raised, first of all in 1968 in both Houses of Parliament, and a Resolution was adopted in respect of language to be used as medium by the UPSC, the proposal and the desire of both Houses was, not only English but all Indian languages should be made media for UPSC examinations. And the persistent approach is in the direction of all the recognised languages. UPSC has had difficulties. And that Resolution itself said that whatever decision the Government takes should be in consultation with the UPSC. UPSC has subsequently set up several Committees. A process of consultation with all States has been going on, and the latest is, as the Minister of State has just said, all the

Secretaries dealing with personnel and language have been convened here on May 13. And I hope that some consensus would evolve. It is the desire of Balkavi Bairagiji, of the Prime Minister, of the Kendriya Hindi Samiti, myself and both the Houses, that all the Indian languages should be media of examinations.

SHRI C. P. THIRUNAVUKKARASU: Thank you, Mr. Chairman, Sir. During the period between 1964 and 1965, when there was an agitation against Hindi in Tamil Nadu, the then Prime Minister, Pt. Jawaharlal Nehru, gave an assurance that Hindi will not be imposed upon the States which are not speaking Hindi. I would like to know from the hon. Minister whether the assurance of Pt. Jawaharlal Nehru will be followed by this Government. You give an assurance.

SHRI L.K. ADVANI: In fact, ordinarily, after the lapse of 15 years, English would not have been there. But, it is because of the decision taken at that time that English is continued even after the lapse of 15 years and the assurance given by the Government to the people stands.

Modernisation of security forces

*564. SHRIMATI JAMANA DEVI BARUPAL:†
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Centre has sanctioned Rs. 235 crore for modernisation of security forces and promotion of a sense of security amongst the people living in border areas;

(b) if so, what are the main features of the proposed modernisation of security forces;

(c) to what extent it will be helpful in checking the ISI activities on Indo-Nepal and Indo-Pak borders; and

(d) whether the modernisation would cover Indo-Nepal and Indo-Pak borders only?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Jamana Devi Barupal.